

2025/54

फर्द अहकाम



परमानन्द

बनाम

बनवारी वगैरे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या 35 / 2025 दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट 1955

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.05.2025	<p>वादी की ओर से यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट के तहत जरिये अभिभाषक श्री लोकेश चौधरी द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 21.6.25 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.) </p> <p>अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक सघ नो न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(रीडर)</p>	
21/6/25	25/6/25	<p>पत्रावली आज पेश की जा रही है। उक्त उक्त में भाग लेने वाली को वा. नं. 35 का आदेश पत्रावली के अन्तर्गत पेश करने के लिए अनुरोध किया गया है। उक्त उक्त में भाग लेने वाली को वा. नं. 35 का आदेश पत्रावली के अन्तर्गत पेश करने के लिए अनुरोध किया गया है।</p> <p style="text-align: right;">  उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.) </p>	